

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- डॉ० हरीतिमा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 87/17

रामलाल पुत्र लालूराम जाति नाई साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़
2. नगरपालिका, सूरतगढ़ जरिये अधिशापी अधिकारी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित:-

1. अधिवक्ता अपीलांत श्री धर्मपाल सिहाग
2. अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा रैसपो संख्या 02
3. पैरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 11.11.2021

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 02.06.2006 जिसके द्वारा अपीलांत का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 272/3 का 6.325 है 0 टी.सी. आवंटित रकवा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील भीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 अपीलांत को विना सुने, विना साक्ष्य के जारी कर अपीलांत के 40 वर्ष पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्त को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त सन 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत सन 1970-71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर संवत् 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा जिसकी संलग्न रसीदे पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत का टी.सी. आवंटित रकवा नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर अपीलांत का रकवा खारिज फरमा दिया गया व रकवा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नहीं लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना अपीलांत को नहीं दी। मातहत न्यायालय ने अपीलांत का रकवा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकवा खारिज कर दिया जबकि अपीलांत का उक्त रकवा 2 किमी से ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांत का रकवा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांत का उक्त आवंटन समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा अपीलांत का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांत ने उक्त भूमि को सुधार कर काविल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को मेरा उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्ररनगत

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्धति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांत उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश निर्णय की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिंटेंड प्रफॉर्मा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 निरस्त फरमाया जावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 02 ने इस प्रकरण में आदेश 41 नियम 20 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर दि० 18.03.2021 को न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया गया व लाल स्वयाही से रेस्पोंडेंट संख्या 02 का नाम अंकन किया गया। अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिहाग उपस्थित हुए तथा पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अधिवक्ता अपीलांत ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 पारित कर अपीलांत को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांत के 40 वर्ष पुरानें टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांत का उक्त टी.सी. आवंटन समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा अपीलांत का कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांत ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांत का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांत का उक्त रकबा नगरपालिका की सीमा परिधि से 2 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांत का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांत की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांत ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008(1) नोटिफिकेशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्ल्यू 2016 (I) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। अपीलांत ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की निगरानी/एलआर/6679/2011/गंगानगर अनवान रामलाल बनाम सरकार में माननीय मण्डल के पारित निर्णय दिनांक 19.05.2017 की पालना में अपीलांत ने दि० 15.06.2017 को यह अपील पेश कर दी, जो अन्दर मियाद है। अपीलांत का मियाद अधिनियम की धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांत स्वीकार करने तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दि० 02.06.2006 खारिज किया करने बाबत निवेदन किया।

  
 अतिरिक्त जिला कलक्टर  
 सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पैराफेरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।
6. नगरपालिका, सूरतगढ़ के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में वर्णित रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित हो चुका है व नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा इस रकबा में आबादी का विस्तार किया गया है व सड़के बनवाई गई है। अपीलांत का उक्त रकबा सूरतगढ़ पैराफेरी क्षेत्र में आने से टी.सी. आवंटन खारिज होने के बाद जब रकबा नगरपालिका को हस्तांतरण हो चुका है तो अपीलाधीन भूमि में अपीलांत का कोई हित नहीं है ना ही अपीलांत का कब्जा है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत निरस्त फरमायी जावे। कानूनी नजीर आरबीजे 1999 पेज 214, आरएलडब्ल्यू 2004 पेज 705, आरआरटी 2021 पेज 336, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दि० 08.02.2006, कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्र दि० 11.07.2005 की ओर ध्यान दिलाया।
7. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की निगरानी/एलआर/6679/2011/श्रीगंगानगर अनवान रामलाल बनाम सरकार पेश कर दी थी व माननीय मण्डल पारित निर्णय दिनांक 19.05.2017 की पालना में अपीलांत ने यह अपील दिनांक 15.06.2017 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। इसलिए मियाद अधिनियम की धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस अपील का निर्णय हम गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं।
8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 02.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 272/3 की 6.325 है० बरानी भूमि अपीलांत को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांत का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांत को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9(25)राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर इस प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 02.06.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० हरीतिमा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (सूरतगढ़ी गंगानगर)